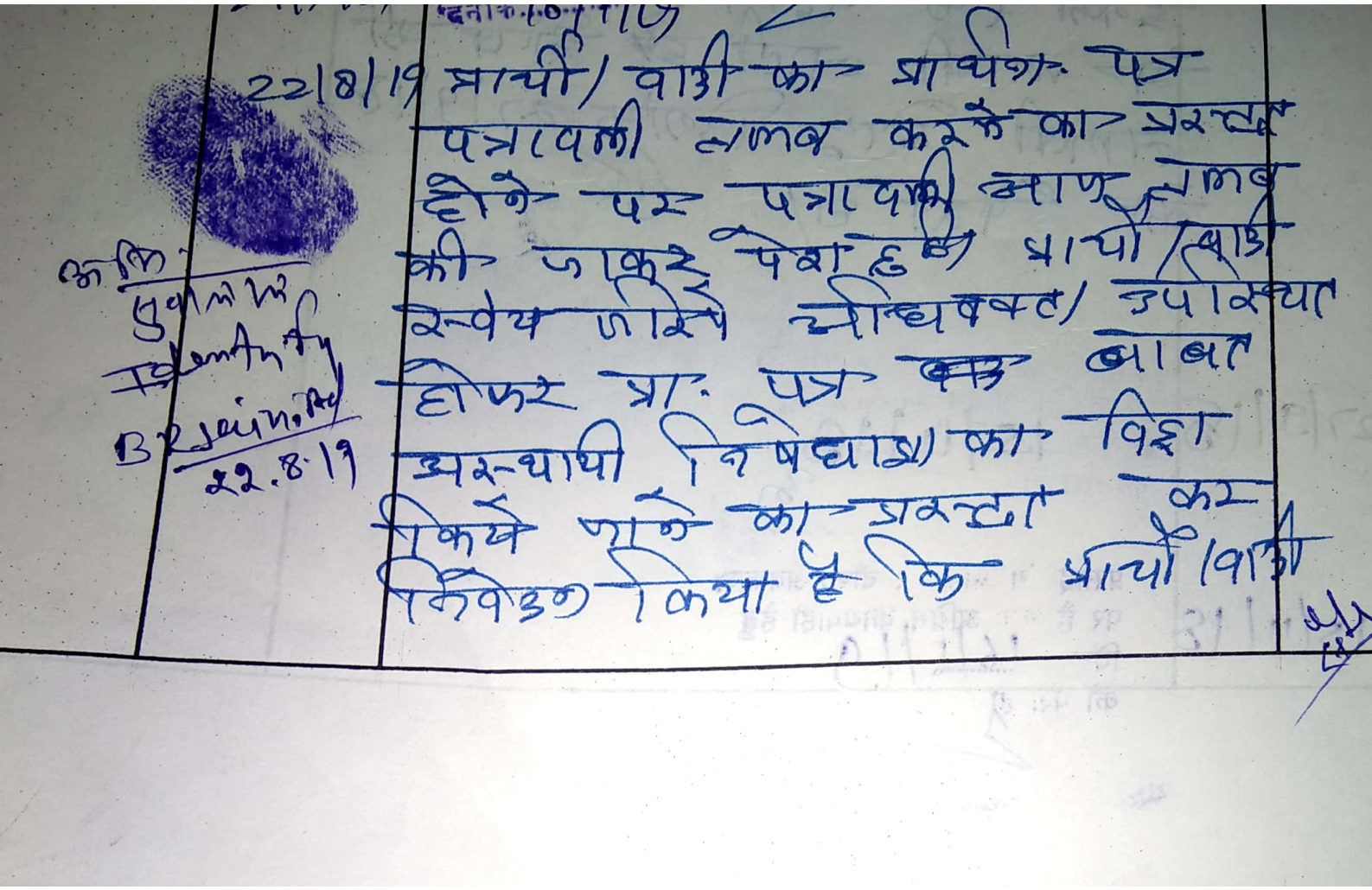

22/8/19 प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब करने का प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज तलब की जाकर पेश हुई। प्रार्थी/वादी स्वयं उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता/उपस्थित होकर प्रा. पत्र के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का विहा किये जाने का प्रस्ताव किया गया है कि प्रार्थी/वादी

अतिरिक्त
Identify
B.Jain
22.8.19

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत क्रम से	विशेष विवरण
		व- प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के गवाह पांच पंचों की बगैरसिक से व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है एवं प्रार्थी/वादी उक्त प्रकरण को इस कारण आगे कोई चलाना वांछित व इच्छा नहीं है। के आधार उक्त प्रकरण को निस्तारण करने की कृपा करें प्रा. पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी का प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थायी/वैकल्पिक का विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के किये जाने का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रा. पत्र अस्थायी विपक्षी/विपक्षीगण के किये जाने स्वीकार किया जाकर अस्थायी विपक्षी/प्रार्थना-पत्र विद्वान के किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है पत्रावली जवाब/जवाब होकर दिनांक को पेश आवे उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर	

Scanned by CamScanner